



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद। अभियुक्त पर पूर्व में भी जबरन वसुली, मारपीट, चोरी आदि के कई मामलें है दर्ज।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि दिनांक 02/03.07.2026 की रात्रि थाना नरैनी पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान ग्राम नहरी के मुकेरा माइनर के पास संदिग्ध रूप से बैठा हुआ दिखाई जिसे पुलिस द्वारा पूछताछ करते हुए तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया। बता दें कि अभियुक्त पर पूर्व में जबरन वसुली, मारपीट, चोरी आदि के कई मामलें दर्ज है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लाला उर्फ शमीम पुत्र जोधा निवासी नहरी थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 166/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त लाला उर्फ शमीम-

1. मु0अ0सं0- 78/20 धारा 323/387/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)घ/3(1)द/3(2)va एससी/एसटी एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 230/25 धारा 305(a)/317(2)/331(1) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 232/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 234/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री अनिल कुमार साहू चौकी प्रभारी करतल
2. कां0 सुशील कुमार
3. रि0कां0 आदर्श पाण्डेय